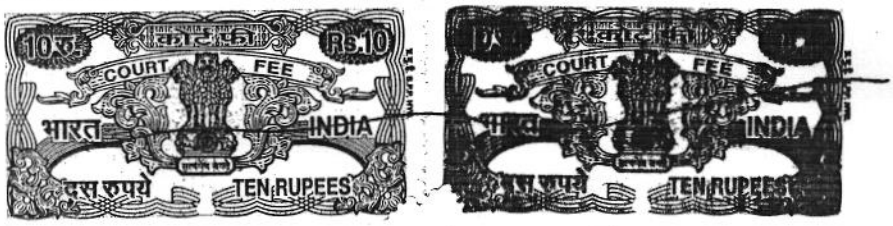

R-4375-II/12

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय, ग्वालियर (केम्प – उज्जैन)

राजुबाई पति रामचन्द्र, जाति--बागरी, उम्र–30 वर्ष,
निवासी :– पिपलिया पिथा तहसील आलोट जिला रतलाम
—— निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1– मांगु पिता सीताराम, उम्र– 33 वर्ष,
निवासी :– पिपलिया पिथा तहसील आलोट जिला रतलाम
2– मुकेश पिता प्रभुलाल, जाति--बागरी, उम्र– 25 वर्ष,
निवासी :– पिपलिया पिथा तहसील आलोट जिला रतलाम
3– श्रीमान् तहसीलदार महोदय,
तहसील कार्यालय आलोट जिला रतलाम म.प्र.
4– श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, (राजस्व)
अनुभाग– आलोट जिला रतलाम म.प्र.
5– श्रीमान् जिलाधीश महोदय, रतलाम म.प्र.
6– श्रीमान् आयुक्त महोदय, (राजस्व)
उज्जैन संभाग, उज्जैन म.प्र. .... रेस्पोन्डेन्ट्स

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि :–

1– यह कि अपिलान्ट ग्राम पंचायत पिपलिया पिथा के पूर्व चौकीदार रामचन्द्र पिता प्रभुलाल बागरी की पत्नि हैं । चौकीदार का पद उसके पति की मानसिक असंतुलन से लापता हो जाने पर रिक्त हैं।

2– यह कि ग्राम पिपलिया पिथा के चौकीदार पद पर निगरानीकर्ता प्रार्थीया के पति रामचन्द्र को प्रकरण कमांक 2–ए56/1994–95 दिनांक 16–06–1995 को नियुक्त हुवे थे। जो विगत वर्षो से लापता हैं। जिसका

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4375-एक/12 जिला - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/01/2019	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 230/2010-11/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05.12.2011 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पिपलिया पीथा के ग्राम कोटवार के पद हेतु पीरूलाल व मांगू ने तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन दिया। प्रकरण के विचाराधीन रहते पीरूलाल की मृत्यु हो गई। मृतक पीरूलाल के भाई मुकेश ने दिनांक 07.03.2011 को उत्तराधिकारी बनकर पक्षकार बनकर आवेदक बनाने की मांग की। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 09.03.2011 द्वारा मुकेश का आवेदन निरस्त कर अनावेदक क्र. 1 को एक मात्र उम्मीदवार मानकर स्थाई कोटवार नियुक्त किया। इसके विरुद्ध मुकेश ने कलेक्टर रतलाम के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो उनके आदेश दिनांक 09.05.11 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश दिनांक 05.12.2011 द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया। आयुक्त के उक्त आदेश के विरुद्ध पूर्व कोटवार रामचन्द्र की पत्नी राजूबाई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.10.2012 द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। इसके उपरांत अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में यह	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधि.भा. आदि के हस्ताक्षर

निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि रामचन्द्र का मानसिक असंतुलन होने पर उसे दिनांक 23.04.2010 को पद से पृथक करते हुए मांगु पिता सीताराम को नियुक्त किया गया। जो अस्थाई नियुक्त किया गया है। प्रार्थीया ने बार-बार उस पद पर अपने पति के स्थान पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया, मगर उसके आवेदन का आज दिनांक तक निराकरण नहीं किया गया। जबकि उसका उस पद पर नियुक्ति हेतु वैधानिक अधिकार था। वह रामचन्द्र की पत्नी होकर इस पद से जुड़ी शासन द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि से जीविकोपार्जन कर अपने नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण कर रही है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदिका के देवर पीरूलाल द्वारा भी उस पर नियुक्ति हेतु निवेदन किया मगर बावजूद इसके उसे नियुक्त नहीं किया गया व उसके आदेश के विचाराधीन रहते एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अनावेदक क्र. 2 जो कि आवेदिका का देवर है, उसके द्वारा भी आवेदन प्रस्तुत किया गया, मगर उसे भी नियुक्त नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा अनावेदक क्र. 1 को चौकीदार बनाया गया, जिसके विरुद्ध कलेक्टर रतलाम के समक्ष अपील की गई, जहां अनावेदक क्र. 2 मुकेश को चौकीदार बनाते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। जिसके विरुद्ध आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की। उक्त् आधारों पर आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक क्र. 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 05.12.2011 के विरुद्ध पूर्व में इस न्यायालय में अनावेदक क्र. 2 मुकेश द्वारा निगरानी क्र.75-एक/2012 पेश की गई थी जिसमें दिनांक 30.12.2013 को

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4375-एक/12 जिला - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश पारित करते हुए निगरानी निरस्त की गई है। यह भी कहा गया है कि उक्त स्थिति में एक बार अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल द्वारा आदेश पारित करने के पश्चात पुन: अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध आदेश पारित करने का कोई अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 स्थिर हो चुका है, उक्त आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 में स्पष्ट किया है कि प्रकरण के विचारण के दौरान यदि किसी उम्मीदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य को विचार हेतु नहीं लिया जा सकता है इस प्रकार का कोई प्रावधान संहिता में नहीं है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं माना है। उक्त आधार पर यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि पूर्व में भी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रश्नाधीन आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रकरण क्रमांक 75-एक/2012 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें दिनांक 30.12.2013 को आदेश पारित किया जा चुका है। उक्त आदेश में राजस्व मण्डल द्वारा अपर आयुक्त का आदेश उचित मानते हुए उसमें हस्तक्षेप न किए जाने का उल्लेख किया गया है। चूंकि राजस्व मण्डल के उक्त आदेश को किसी वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में पुन: अपर आयुक्त के उसी आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इसी आधार पर निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	